UPSP010009392025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, सहारनपुर।

विशेष वाद संख्या– 299/2025

राज्य बनाम ऋषिपाल।

मुकदमा अपराध सं0 0425/2019
धारा 138बी विद्युत अधिनियम
थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर।

04.04.2026

पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना–पत्र दिनांकित 04.04.2026 अंतर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत कर प्रस्तुत प्रकरण अपराध संख्या 0425/2019 अंतर्गत धारा 138बी विद्युत अधिनियम 2003, थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर में विद्युत बकाया शमन शुल्क तथा राजस्व निर्धारण धनराशि विभाग में जमा किये जा चुके होने का कथन करते हुये मुकदमा निर्णीत किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पत्रावली पर शमन शुल्क धनराशि अंकन 8000.00/– रूपये रसीद संख्या 347370308533 से एवं राजस्व निर्धारण धनराशि अंकन 713.00/– रूपये रसीद संख्या 347440848287 से दिनांक 15.12.2025 को जमा के सम्बंध में, कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड बलियाखेड़ी, सहारनपुर, द्वारा जारी पत्रांक संख्या 5954/वि0वि0खण्ड–ब0/स0पुर/एफ0आर0 दिनांकित 19.12.2025 दाखिल किया गया। प्रमाण–पत्र अभियोजन द्वारा अनुमोदित है। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में देय बकाया राशि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमा की जा चुकी है और अभियोजन द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152(2) में यह उपबंधित है कि धारा 152(1) के अनुसार धनराशि के भुगतान पर उस अपराध के सम्बंध में अभिरक्षा में रहने वाले किसी व्यक्ति को स्वतंत्र किया जायेगा और कोई कार्यवाही किसी दाण्डिक न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी। धारा 152(3) विद्युत अधिनियम में यह भी उपबंधित है कि धारा 152(1) के अनुसार अपराध का प्रशमन करने के लिये समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना, दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट है कि चूंकि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क तथा राजस्व निर्धारण शुल्क व बकाया बिल जमा करा दिया गया है, ऐसे में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये अभियुक्त उक्त आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदन दिनांक 04.04.2026 और अभियुक्त द्वारा धारा 138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शमन कर लिये जाने के आधार पर अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र तेल्लूराम के विरूद्ध धारा 138बी विद्युत अधिनियम 2003, थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर की कार्यवाही प्रमाण–पत्र दिनांकित 19.12.2025 के आधार पर अंतर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचयित अभिलेखागार हो।

(प्रकाश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, सहारनपुर।
I.D.- UP 6317

Digitally signed by PRAKASH TIWARI
Date: 2026.04.04 16:49:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court